दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 08.12.2022

निर्णय पारित : 12.01.2023

रि.या.(सि.) 5511/2022 व सि.वि.आ. 16399/2022

अश्वनी कुमार शर्मा व अन्य ....याचीगण

द्वारा: श्री अतुल चौबे, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जीवेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता सह श्री मीमांसक भारद्वाज व श्री सनी, अधिवक्तागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

<u>निर्णय</u>

<u>श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, न्या.</u>

1. याचीगण केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण) द्वारा मू.आ. सं. 2781/2021 में 8 दिसंबर,

2021 को पारित आदेश को अपास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 227 के तहत रिट अधिकारिता का उपयोग करते हैं, जिसके तहत निम्नलिखित राहत की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया गया था:

"क. संविदात्मक / परामर्शी आधार पर नियोजन को शामिल करने के लिए रोज़गार / पुनः रोज़गार की परिभाषा में संशोधन / व्याख्या करने वाले दिनांक 25.06.2021 तथा 13.07.2021 के आदेश / स्पष्टीकरण / निर्देश को अपास्त किया जाए एवं वीआरएस 2019 के खंड 8(iii) में सीपीएसई / सरकार को अस्थायी, मनमाना, विधिविरुद्ध एवं अतः आरंभ से शून्य रूप में शामिल करने के लिए सीपीएसई में संशोधन किया जाए; और / या

ख. यह घोषणा करना कि आवेदक परामर्शी / संविदात्मक आधार पर सीपीएसई / सरकार में कार्यरत होने के हकदार हैं क्योंकि यह वीआरएस 2019 के खंड 8(iii) का उल्लंघन नहीं है और ऐसे सीपीएसई / सरकार को नियोजन के आवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 25.06.2021 व 13.07.2021 के आदेश / स्पष्टीकरण / निर्देश को अनदेखा किया जाना चाहिए; और / या

ग. *प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाए कि वे सीपीएसई*

/ सरकारी विभागों को आवेदकों की उम्मीदवारी को अन्य सेवानिवृत्त लोगों के समान विचार करने के लिए सूचित करें; और / या

घ. *प्रत्यर्थीगण को आवेदक को सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाए; और / या*

ड. आक्षेपित आदेश तथा पारिणामिक त्यागपत्र / संविदा के पर्यवसान के कारण आवेदकों को हुए वित्तीय नुकसान की सीमा तक मुआवजा दिया जाए; और / या

च. प्रत्यर्थीगण की ओर से कमी और कर्मचारियों को मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करने के लिए लागत दी जाए; और / या

छ. *मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी आदेश / निर्देश को पारित किया जाए।"*

2. संक्षेप में, याचीगण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्होंने बीएसएनएल द्वारा प्रस्तावित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2019 का विकल्प चुना है। याचीगण के अनुसार, वीआरएस सेवानिवृत्त लोगों को सभी

उद्देश्यों के लिए अधिवर्षिता के बाद सेवानिवृत्त लोगों के समान माना जाना था।

प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 02.02.2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों से एलएसए, हरियाणा अंचल में परामर्शी के रूप में नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को कंसलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दिनांक 02.03.2021 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में दूरसंचार विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 19-I/2019/एसयू-I दिनांकित 25.06.2021 द्वारा प्रत्यर्थी के निर्णय का हवाला देते हुए दिनांक 06.07.2021 व 07.07.2021 के आदेश द्वारा याचीगण की संविदा समाप्त कर दी गई थी।

दूरसंचार विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापन को तत्काल संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

" भारत सरकार
*संख्या 19-I/2019-*एसयू-*I*
दूरसंचार विभाग

(कार्यालय सं.स. (प्रशासनिक) - सा.क्षे.उ. मंडल)

******

संचार भवन, नई दिल्ली

25 जून, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : बीएसएनएल से वीआरएस लेने के बाद संविदा के आधार पर किसी अन्य सीपीएसई में शामिल होने की अनुमति के सन्दर्भ में

कृपया बीएसएनएल के कॉरपोरेट अधिकारी पत्र संख्या बीएसएनएलसीओ-पीईआरआई/11(18)/27/2020-पीईआरएस1 दिनांकित 02.03.2021 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थीः

क. *क्या बीएसएनएल वीआरएस-2019 में उपयोग किया गया 'पुनः-रोज़गार' शब्द वीआरएस / वीएसएस पर डीपीई के समेकित दिशानिर्देशों में उपयोग किए गए रोज़गार के समान है; और*

ख. *क्या संविदा / परामर्श के आधार पर सीपीएसई में नियोजन भी पुनः रोज़गार / रोज़गार के रूप में माना जाएगा?*

2. *दिनांक 20.07.2018 के डीपीई दिशा-निर्देश किसी*

भी सीपीएसई के वीआरएस विकल्प का चुनाव करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य सीपीएसई में रोज़गार लेने से रोकते हैं और यदि कोई वीआरएस विकल्प का चुनाव करने वाला व्यक्ति किसी अन्य सीपीएसई में नौकरी करने की इच्छा रखता है, तो ऐसे वीआरएस विकल्प का चुनाव करने वाले व्यक्ति को ऐसे सीपीएसई में शामिल होने से पहले योजना के तहत प्राप्त अनुग्रह राशि की पूरी राशि वापस करनी होगी। डीपीई दिशा निर्देश में रोज़गार एवं पुनः रोज़गार के मध्य ऐसा कोई विभेदन व्यक्त नहीं किया गया है।

3. *किसी सीपीएसई या सरकार में संविदा / परामर्श आधार पर नियोजन के मामले में कर्मचारी को सीपीएसई या सरकार से वेतन मिलता है और इसलिए संविदा या परामर्श के आधार पर कार्य करना ऐसे सीपीएसई या सरकार में रोज़गार का एक रूप है। इसलिए, संविदा / परामर्श के आधार पर सीपीएसई / सरकार में कार्य करना भी डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत पुनः रोज़गार / रोज़गार का रूप माना जाएगा।*

हस्त/-

(जीतीन बंसल)

निदेशक (सा.क्षे.उ. मामले)

jitin.bansal@gov.in

सेवा में,

सीएमडी, बीएसएनएल/एमटीएनएल

प्रतिलिपि

सदस्य (एफ), डीसीसी/सदस्य (एस), डीसीसी/डीजी(टी)/सीजीसीए"

3. याचीगण, अधिसूचना संख्या 1-13/020/पर्स टेक/.खंड-II दिनांकित 08.11.2021 के अनुसार अल्पकालिक आधार पर दूरसंचार विभाग ,अभियांत्रिकी केंद्र में परामर्शदाताओं के नियोजन के संबंध में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, की कार्रवाई से व्यथित हैं, जो केंद्र / राज्य सरकार से सेवानिवृत्त योग्य कर्मचारियों में से बीएसएनएल / वीआरएस सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर परामर्शी के रूप में कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।

4. याचीगण की शिकायत है कि बीएसएनएल वीआरएस-2019 के वीआरएस से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को विवर्जित करने वाली उपरोक्त अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्यूंकि परामर्शी के रूप में काम करने के लिए याचीगण अन्य

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समकक्ष योग्य और अहर्ता प्राप्त हैं। यह भी प्रकथन किया गया है कि 'अल्पावधि संविदा के आधार पर परामर्शदाता' के रूप में नियोजन को पुनः रोज़गार रूप में मानना जनहित के लिए हानिकारक है तथा सरकारी नीति से विचलन है।

5. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थी (दूरसंचार विभाग) का रुख यह है कि बीएसएनएल से वीआरएस लेने के बाद संविदा के आधार पर दूसरे सीपीएसई में काम करने की अनुमति के संबंध में इनके पत्र दिनांकित 02.03.2021 द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्यालय ज्ञापन संख्या 19-1/2019/एसयू-I दिनांकित 25.06.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इसके अलावा बीएसएनएल द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच करते समय, प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जिन्हें लाभकारी रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः- -

> *"7. यह कि बीएसएनएल द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच करते समय, प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखाः- -*
>
> *क. यह कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना -*

2019 (वीआरएस 2019) बीएसएनएल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बीएसएनएल वीआरएस-2019, पैरा 8(iii) में कहा गया है कि "इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी अन्य सीपीएसई में पुनः रोज़गार के पात्र नहीं होंगे। बशर्ते इस स्थिति में कि अगर कोई कर्मचारी किसी सीपीएसई में पुनः रोज़गार हेतु इच्छुक है, तो उस कर्मचारी को ऐसे सीपीएसई में कार्यरत होने से पूर्व योजना के तहत प्राप्त सम्पूर्ण अनुग्रह राशि को बीएसएनएल को वापिस करना होगा। बीएसएनएल को वापसी की राशि को सरकार को देना होगा।

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 20.07.2018 के वीआरएस पर समेकित दिशा-निर्देशों के अनुछेद 13 व 14 में निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है:-

अनुछेद 13 : "एक बार जब कोई कर्मचारी किसी सीपीएसई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो उसे किसी अन्य सीपीएसई में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसा करना चाहता है, तो उसे संबंधित सीपीएसई में प्राप्त वीआरएस प्रतिकर को लौटना होगा।

जहाँ प्रतिकर का भुगतान सरकारी अनुदान से किया गया हो, संबंधित सीपीएसई वापस की गई राशि का भुगतान सरकार को करेगा।"

अनुच्छेद 14: "यह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि वीआरएस का विकल्प चुनने वालों को लाभदायक स्व-रोजगार के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करें|"

6. संक्षेप में, प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि डीपीई के दिनांक 20.07.2018 के दिशानिर्देशों में 'नियोजन' और 'पुनःनियोजन' के बीच कोई अंतर नहीं है और डी पी ई दिशा निर्देशों के तहत संविदात्मक/ परामर्श के आधार पर नियोजन सी पी एस ई /सरकार में पुन:नियोजन/नियोजन के रूप में माना जाएगा | सीपीएसई/सरकार में संविदात्मक/परामर्श के आधार पर नियोजन भी डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत पुनःनियोजन/नियोजन के रूप में योग्य होगा| नतीजतन, डीपीई के दिशानिर्देश वीआरएस सेवानिवृत्त लोगों को परामर्श/संविदात्मक नियोजन सहित अन्य सीपीएसई में नौकरी से प्रतिबंधित करते हैं| याचीगण को पहले से ही वीआरएस योजना के संदर्भ में अंतिम प्राप्त वेतन के 125% तक का भुगतान किया गया था| इसके आगे, किसी भी सीपीएसई या सरकार में संविदा/परामर्श के आधार पर नियोजन के मामले में

भी कर्मचारी को सीपीएसई/सरकार से वेतन मिलता है और इसलिए, वीआरएस बीएसएनएल-2019 योजना के साथ-साथ डीपीई दिशानिर्देशों के तहत नियोजन वर्जन को आकर्षित करता है|

बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2019 में सामान्य शर्तों के प्रासंगिक खंड 8 का भी उल्लेख किया गया है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"8. सामान्य शर्तें:

(i) इस योजना के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और यह किसी औद्योगिक विवाद का विषय नहीं होगा|

(ii) इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों के लिए बीएसएनएल में कोई भर्ती नहीं की जाएगी और इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा|

(iii) इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी अन्य सीपीएसई में पुनःनियोजन हेतु योग्य नहीं होंगें| बशर्ते कि यदि कोई कर्मचारी किसी सीपीएसई में पुनःनियोजन करना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को ऐसे सीपीएसई में शामिल होने से पहले योजना के तहत प्राप्त अनुग्रह की पूरी राशि बीएसएनएल को वापस करनी होगी| बीएसएनएल वापस की गई राशि सरकार को भेजेगा|

(iv) इस योजना के तहत सभी भुगतान और कर्मचारी(यों) को बीएसएनएल द्वारा देय कोई भी अन्य लाभ ऐसे कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण, अग्रिम, संपत्ति की वापसी और किसी भी

अन्य बकाया देय राशि का पूर्व में निपटान/पुनःभुगतान बीएसएनएल को किए जाने के अधीन होगा।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी बीएसएनएल को लंबित देय राशि को निपटाने का विकल्प अनुग्रह, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत भुगतान की गई राशि में से दे सकते हैं|

(v) किसी कर्मचारी के विकल्प प्रस्तुत करने के बाद लेकिन इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि से पहले मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक कर्मचारी के परिवार/कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुग्रह भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी; बशर्ते कि मौजूदा नियमों के अनुसार लागू अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान परिवार/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा|

(vi) इस योजना के तहत किए गए सभी भुगतान, जहां भी लागू हो, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती के अधीन होंगे|

(vii) सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले किसी भी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा|

(viii) इस योजना के तहत देय लाभ, किसी भी प्रकार के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में होंगे, चाहे वे योजना के तहत या अन्यथा उत्पन्न हों|

(ix) कोई कर्मचारी जो इस योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या उसके परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी का इस योजना के तहत लाभ के अलावा कोई और दावा या मुआवजा नहीं होगा|"

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 2019 में वीआरएस लेने वाले याचीगण को संविदात्मक/परामर्श के आधार पर

नियोजन हेतु विचार करने का कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता क्योंकि वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर उचित समय पर सेवानिवृत्त नहीं हुए थे|

7. अधिकरण ने संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद इस तथ्य पर गौर किया कि आक्षेपित अधिसूचना दिनांकित 08.11.2021 के अनुच्छेद 7 में यह अनुबद्ध किया गया कि बीएसएनएल/एमटीएनएल वीआरएस-2019 योजना के तहत सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है| यह देखा गया कि चूँकि याचीगण बीएसएनएल-2019 योजना के सेवानिवृत्त हैं, जिन्होंने वीआरएस का विकल्प चुना है, वे इस अधिसूचना के अंदर नहीं आते हैं और इस प्रकार संविदात्मक आधार पर परामर्शी के रूप में नियोजित किए जाने के योग्य नहीं हैं| आगे यह भी तर्क दिया गया कि 08.11.2021 और 29.11.2021 की अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तें दो अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थात दिल्ली और मुंबई से छह महीने की अल्पावधि के लिए संविदात्मक आधार पर परामर्शी के नियोजन के संबंध में

विभिन्न कारणों द्वारा शासित होती हैं जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता और यह प्रत्यर्थी का विवेकाधिकार है कि वह बीएसएनएल/एमटीएनएल वीआरएस-2019 योजना के तहत वीआरएस लेने वाले व्यक्तियों का नियोजन करें या नहीं| यह माना गया कि आम तौर पर ऐसी परिस्थितियों में, अधिकरण या न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते हैं एवं 2019 में वीआरएस लेने वाले याचीगण को परामर्शी के रूप में नियोजित होने से सम्बंधित ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिसका अतिक्रमण किया गया हो | तदनुसार, मू.आ. को खारिज कर दिया गया था|

8. याचीगण के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष उठाए दावों को दोहराया है और विद्वान अधिकरण के समक्ष संदर्भित संचार और कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ दिया है|

दावों के समर्थन में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***ए.के. बिंदल बनाम भारत संघ*, [(2003) 5 एससीसी 163 : 2003 एससीसी (एल & एस) 620], *एस. रामी रेड्डी***

***बनाम प्रत्यर्थी: उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड व अन्य*, [2003 (4) एएलडी 609, 2003 (6) *एएलटी 390]*, *संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला व अन्य*, (2006) 2 एससीसी 482, *यूनिटेक लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम व अन्य*, 2021 (219) एआईसी 39** और ***गौरी शंकर घोष हाजरा बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमि. व अन्य,* अपील (सिविल) सं. 17935/2000 के लिए विशेष अनुमति|** पर विश्वास किया है |

दूसरी ओर पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **ले.पे.अ. सं. 308/2013 *दीपक मोहन सेठी बनाम बीएसईएस राजधानी पावर लिमि. व अन्य*** और संबंधित मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा दिए गए 06.05.2014 के निर्णय पर भरोसा जताया है|

9. विचार करने हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अधिसूचना सं. 1-13/2020-पर्स.1टीईसी वॉल्यूम-II दिनांकित 08.11.2021 के सम्बन्ध में केंद्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त

कर्मचारियों और बीएसएनएल/एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से बीएसएनएल वीआरएस-2019 के वीआरएस सेवानिवृत्त लोगों का परामर्शी के रूप में पूर्ण रूप से छह महीने की अल्पावधि हेतु नियोजन, जो अधिकतम छह कार्यकाल (प्रत्येक छह महीने) या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक विस्तृत हो सकता हो, को 'पुनःनियोजन' माना जाएगा जैसा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के खंड 8 (iii) में संदर्भित है| नतीजतन, यदि बीएसएनएल वीआरएस-2019 के सेवानिवृत्त लोगों को संविदात्मक/परामर्श के आधार पर इस तरह के नियोजन के लिए विचार करने से रोका जा सकता है|

10. प्रत्यर्थी ने, शुरुआत में, याचीगण की ओर से पेश किए गए दावे को बनाए रखने की क्षमता पर इस आधार पर आवेगपूर्ण विरोध किया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 की शर्तों को स्वीकार करने के बाद, इसे वीआरएस योजना के संदर्भ में निपटाए गए अधिकारों का दावा करने के लिए फिर से वाद विवाद नहीं किया जा सकता है| ***दीपक मोहन सेठी बनाम बीएसईएस राजधानी पावर लिमि. व अन्य***

और संबंधित मामलों (उपर्युक्त) में विश्वास किया गया है|

11. ***दीपक मोहन सेठी*** (उपर्युक्त) में, वह अपीलार्थी जिन्होनें एनडीपीएल/बीएसईएस से 2003 से 2006 की अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करते समय दावा या माँग नहीं किया था, जो कि 1992 से 2000 की अवधि के दौरान समयबद्ध पदोन्नति मान के संबंध में था परन्तु बाद में 2013 में रिट याचिका दायर करके उसी का दावा किया|

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, खण्ड न्यायपीठ ने अनुच्छेद 38 में वीआरएस के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:

> *"38. **सिद्धांतों का सारांश***
>
> *37.1 **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ-** स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ (वीआर योजना) आमतौर पर कर्मचारियों की कटौती करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति राशि की पेशकश कोई कार्य करने या कोई सेवा प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि उनके सेवा छोड़ने और इसमें अपने सभी दावों या अधिकारों को छोड़ने के बदले में की जाती है| यह देन-लेन का एक पैकेज डील है| यह कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं, दोनों के लिए*

फायदेमंद है और इसलिए इसे "गोल्डन हैंडशेक" के रूप में जाना जाता है| इस राशि का भुगतान करने का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विधिगत संबंध को पूरी तरह समाप्त करना है|

*37.2 **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से समझौता नहीं किया जा सकता**- वीआर योजनाएँ पूरी तरह स्वैच्छिक हैं और इनसे समझौता नहीं किया जा सकता|*

*37.3 **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ संविदात्मक प्रकृति की हैं-** वीआर योजना पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण है| यदि कर्मचारी वीआरएस का विकल्प चुनता है, तो यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर एक संपन्न संविदा के रूप में परिणत होगा| दोनों पक्ष वीआर योजना की शर्तों से बाध्य हैं| यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह वीआर योजना की शर्तों को दोबारा लिखें| वीआर योजना के पक्षकारों के बीच का संबंध संविदा अधिनियम, 1872 द्वारा शासित होता है ना कि किसी कानून द्वारा|*

*37.4 **विधिगत संबंध की समाप्ति-** वीआरएस आवेदन को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विधिगत संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और कर्मचारी अपने किसी भी प्रकार के पिछले अधिकारों के लिए है या पूर्व अवधि के लिए वेतनमान में वृद्धि के लिए आवेग प्रकट नहीं कर सकता, जब तक कि कानून के द्वारा वह इसके लिए हकदार नहीं बन जाता है|*

*37.5 **पूर्ण और अंतिम निपटान-** वीआर योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को योजना में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिकर भुगतान पूर्ण व अंतिम निपटान किया जाता है|*

*37.6 **विबंध -** जो कर्मचारी अपने पिछले अधिकारों के बारे*

में किसी भी प्रकार का विरोध किए बिना खुली आंखों के साथ वीआरएस को स्वीकार करते हैं, उन्हें न्यायालय में अभ्यावेदन करने से रोक दिया जाता है|

यदि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, जिसके भरोसे बाद वाला व्यक्ति उसके प्रतिकूल कार्य करता है, वह अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन से पीछे नहीं हट सकता है। विबंध का सिद्धांत असंगत स्थितियों की धारणा के विरुद्ध नियम की एक शाखा है। वह जो जानबूझकर किसी अनुबंध के लाभ को स्वीकार करता है, वह उस पर ऐसे अनुबंध के बाध्यकारी प्रभाव से इंकार करने से विबंधित है। इस नियम को साम्या बरतने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

*37.7 **अधित्यजन**- वीआरएस का लाभ उठाने और बिना किसी आपत्ति के राशि लेने के बाद, कर्मचारी पिछले अधिकारों या वेतनमान में संशोधन न होने हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। इस तरह के दावे अधित्यजन के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित हैं। अधित्यजन का अभिवचन विबंध के अभिवचन से निकटता से जुड़ा हुआ है, दोनों का उद्देश्य दैनिक लेनदेन में सद्भाव सुनिश्चित करना है।*

37.8 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भविष्य के लिए योजना बनाते हैं और इसके सभी निहितार्थों को ध्यान में रखते हैं। विकल्प देते समय उन्हें अपनी स्थिति का पता

होता है और उन्हें योजना में उल्लिखित लाभ के अलावा अतिरिक्त लाभ नहीं मिल सकते। वे विधिगत संबंध से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करते हैं और अपने कार्यों से बंधे होते हैं।

37.9 जो कर्मचारी वीआर योजना में दी गई राशि से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें इंतजार करना चाहिए और वीआरएस का विकल्प चुने बिना अपने दावों को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने अपने विवेक से सोचा कि वास्तविक स्थिति में, वीआरएस एक बेहतर विकल्प था और वीआरएस के लिए आवेदन करते हैं और धन स्वीकार करते हैं, उन्हें यह तर्क देने की स्वतंत्रता नहीं है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की बाध्यता के तहत विकल्प का उपयोग किया।

37.10 यदि कर्मचारी को वीआरएस लेने और इसके तहत राशि स्वीकार करने के बाद भी अपने पिछले अधिकारों या पूर्वव्यापी तिथि से वेतनमान में वृद्धि के बारे में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दी जाती है, तो वीआर योजना का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

*37.11 **<u>सेवा संबंधी विलंबित दावे-</u>** सेवा संबंधी विलंबित दावे को एक सतत दोष के मामले में छोड़ कर देरी व ढिलाई के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, उपरोक्त अपवाद का एक अपवाद है अर्थात यदि किसी आदेश या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में शिकायत कई अन्य लोगों से*

भी संबंधित है या उन्हें प्रभावित करती है और यदि इस मुद्दे के खुलने से तीसरे पक्ष के तय अधिकारों पर असर पड़ता है, तो दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। वीआरएस के परिणामस्वरूप विधिगत संबंध समाप्त हो जाते हैं और इसलिए यह अपवाद के लिए अपवाद की अंतिम श्रेणी में आता है।

*37.12 **पुराने दावे-** न्यायालयों द्वारा उपचार प्राप्त करने में देरी की माफी को आधार बनाने में विफलता के पुराने दावों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।*

37.13 रिट याचिका दायर करने में देरी को इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा था। सिर्फ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना विलंब को माफ़ करने के लिए एक अच्छा आधार नहीं है जब तक कि यह एक सांविधिक अभ्यावेदन न हो।"

इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दावा किए गए अधिकार वीआरएस की स्वीकृति से पहले की अवधि से संबंधित थे और 12 वर्ष की अवधि से अधिक की देरी के बाद विधिगत संबंध समाप्त होने के बाद इन्हें लागू करने की मांग की गई थी। तदनुसार, याचिकाओं को वीआरएस ले लेने के प्रासंगिक तथ्यों को छुपाने पर विचार करते हुए

जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था।

12. अभिलेख के आधार पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्राधिकार स्पष्ट रूप से विभेद्य है क्योंकि वर्तमान मामले में बीएसएनएल वीआरएस-2019 की शर्तों की गलत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक/परामर्शी आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन विवर्जित करने को जल्द से जल्द चुनौती दी गई है। इसके अलावा, अधिकरण के समक्ष पेश मूल आवेदन में विशेष रूप से दावा किया गया है कि बीएसएनएल वीआरएस-2019 सेवानिवृत्तों द्वारा योजना में संविदात्मक/परामर्शी नियुक्ति के लिए ऐसे किसी अधिकार का, जैसा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, परित्याग नहीं किया गया था और प्रासंगिक समय पर इस तरह का कोई अलग वर्ग प्रत्यर्थी द्वारा बनाए जाने की मांग नहीं की गई थी।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह देखा जा सकता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का उद्देश्य, जिसे व्यापार जगत में 'गोल्डन हैंडशेक' के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच

विधिगत संबंध पर पूरी तरह विराम लगाना होता है। उपक्रम के तहत कर्मचारी के नियोजन पर विराम लग जाता है और सामान्यतः रोजगार से उत्पन्न होने वाले उसके किसी भी प्रकार के पिछले अधिकारों के बारे में वाद विवाद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अधिकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में दर्ज नियमों और शर्तों द्वारा सख्ती से शासित होते हैं और योजना की शर्तों से परे कुछ भी किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रतिबंधित या बाधित नहीं कर सकता है।

यह अच्छी तरह से निर्धारित है कि आमतौर पर यह किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र *के भीतर नहीं* है कि वह नीति के *गुणों और दोषों* को मापे या इसे बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के उद्देश्य से इसकी लाभदायक या साम्यापूर्ण प्रकृति की कोटि की जांच करे या परीक्षण करे, सिवाय इसके कि क्या यह मनमाना है या किसी संवैधानिक, सांविधिक या कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

14. बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) बीएसएनएल को मजबूत व व्यवहार्य बनाने के लिए की गई

पहलों में से एक थी, जिसमें बीएसएनएल के 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी इच्छुक कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस की पेशकश की गई थी। कुछ वर्गों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को एक अलग समूह के रूप में माना जाएगा और उनसे विशिष्ट व्यवहार किया जाएगा को दूर करने के लिए एनआर बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कर्मचारियों को एक पत्र/संदेश जारी किया गया था। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वीआरएस-2019 पर सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल कर्मचारी न तो एक अलग और न ही एक विशिष्ट समूह हैं, लेकिन वे सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बराबर होंगे और इस प्रकार किसी भी तरह के संदेह में कोई दम नहीं है।

15. बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना का उद्देश्य स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुनाव करने वाले पात्र कर्मचारियों को आकर्षक लाभ प्रदान कर बीएसएनएल के मानव संसाधन का अधिकतम

उपयोग करना और उसे सही आकार देना है। यह योजना योजना के खंड 3 (छ) में निर्दिष्ट सभी पात्र कर्मचारियों पर लागू थी। यह भी पाया गया कि योजना के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मौजूदा नियमों का अर्थ है "इस योजना की अधिसूचना की तारीख को बीएसएनएल के प्रवृत्त नियम या भारत सरकार के नियम, जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों पर लागू है।" इस योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को योजना के खंड 6 के तहत निर्दिष्ट किया गया था। पूर्वोक्त संदर्भ में, योजना का खंड 8 और 9, जो प्रासंगिक है, ध्यान देने योग्य हैः

"8. सामान्य शर्तें :

(i) इस योजना से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और यह किसी औद्योगिक विवाद का विषय नहीं होगी।

(ii) इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों के लिए बीएसएनएल में कोई भर्ती नहीं की जाएगी और इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा।

(iii) इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी अन्य सीपीएसई में पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते कि यदि कोई कर्मचारी किसी सीपीएसई में पुनर्नियोजित होना चाहता है, तो ऐसे कर्मचारी को ऐसे सीपीएसई में शामिल होने से पहले योजना के तहत प्राप्त पूरी अनुग्रह राशि बीएसएनएल को वापस करनी होगी। बीएसएनएल वापस की गई राशि सरकार को भेजेगा।

******** ***** ***** ********

9. इस योजना की शर्तों में से किसी के अर्थ/व्याख्या के बारे में किसी भी संदेह या अस्पष्टता के मामले में बीएसएनएल के सीएमडी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।"

16. बीएसएनएल वीआरएस-2019 के खंड 8 (iii) का केवल एक अवलोकन दर्शाता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के तहत जिस एकमात्र प्रतिबंध की परिकल्पना की गई है, वह यह है कि **इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी अन्य सीपीएसई में पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे।** ऐसी संभावित स्थिति में जब कर्मचारी अभी भी किसी

सीपीएसई में पुनर्नियोजन लेने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मचारी द्वारा *योजना के तहत प्राप्त पूरी अनुग्रह राशि बीएसएनएल को वापस किया जाना अपेक्षित था।*

यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि रिटेनर, परामर्शदाता आदि के रूप में अस्थायी आधार पर नियोजन, जिसके लिए बीएसएनएल के सामान्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र हैं, को प्रतिबंधित करने वाला कोई विशिष्ट खंड नहीं है और अब इस खंड की व्याख्या परामर्शी/संविदात्मक के आधार पर भी नियोजन के लिए प्रतिबंध लगाने के रूप में करने की मांग की गई है।

17. **दिनेश चंद्र संगमा बनाम असम *राज्य, ए.आई.आर. 1978 उच्चतम न्यायालय* 17** मे पैरा 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कई नियोजनों में, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के या सार्वजनिक कंपनियों के, नियोजन के अनुबंधों को नोटिस द्वारा रोजगार की समाप्ति की एक शर्त के साथ निष्पादित किया जाता है। संविदात्मक नियोजन के ऐसे मामले सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अलग होते हैं, जिनका

नियोजन सामान्य अनुबंध का नहीं बल्कि स्थिति का मामला होता है। सरकारी कर्मचारी की सेवा की शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए कानूनों या सांविधिक नियमों द्वारा शासित होती हैं।

18. यह देखा जा सकता है कि संविदात्मक कर्मचारी के रूप में कार्य करते समय, यहां याचीगण को नियमित कर्मचारियों पर लागू प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा शासित नहीं किया जाना था और परिणामस्वरूप सेवा की सामान्य प्रसंगतियां जैसे अर्जित छुट्टी, भविष्य निधि के लाभ संविदात्मक कर्मचारी पर लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार, संविदात्मक कर्मचारी को न तो निलम्बित किया जा सकता है, जिससे वह निर्वाह भत्ते का अधिकारी हो जाए या कोई जुर्माना लगाया जा सकता है जैसा कि किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में होता है और न ही संविदात्मक कर्मचारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किसी संरक्षण का हकदार है। इस प्रकार, एक बुनियादी अंतर होता है जब किसी कर्मचारी को सरकार के तहत नियमित रोजगार की तुलना में संविदात्मक आधार पर नियुक्त

किया जाता है जो कि संविदा का नहीं एक पद का मामला है एवं भारत के अनुच्छेद 309 एवं 311 के प्रावधानों के द्वारा शासित है|

19. याचीगण द्वारा बीएसएनएल वीआरएस-2019 को स्वीकार करने से यह अभिप्राय नहीं है कि उसके अपने अधिकार का अधित्यजन, अभ्यर्पण या निराकरण कर दिया जो कि अन्य बीएसएनएल कर्मचारी को उनके समान्य सेवानिवृति पर उपलब्ध होते हैं सिवाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में निर्दिष्ट सीमाओं तक । यह भी ध्यातव्य है कि बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक द्वारा दिनांक 23.11.2019 के पत्र के माध्यम से एक स्पष्ट स्पष्टीकरण/समझ जारी की गई है कि वीआरएस (वीआरएस-2019) पर सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल कर्मचारी न तो अलग हैं और न ही एक अलग समूह हैं, बल्कि वे अधिवर्षिता पर सेवा-निवृति के समकक्ष होंगे|

बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक द्वारा दिनांक 23.11.2019 को जारी पत्र के समबन्ध में याचिककर्तागण, जिन्होंने बीएसएनएल वीआरएस-2019 को विकल्प के रूप

में चुना हैं, उनके द्वारा वैध प्रत्याशा के सिद्धांत को वैध रूप से लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त पत्र के माध्यम से बीएसएनएल की ओर से किया गया वादा असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्तागण ने दिनांक 23.11.2019 के पत्र द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन के बावजूद बीएसएनएल से नियमित रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और बीएसएनएल वीआरएस-2019 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के बीच किए जा रहे भेदभाव के मामले को सफलतापूर्वक उठाया हैं। वीआरएस विकल्प का चुनाव करने वालों द्वारा संविदात्मक/परामर्श के आधार पर रोजगार की अपेक्षा और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समान व्यवहार एक वैध अपेक्षा प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए बीएसएनएल/दू.वि. से नियमित रूप में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में वीआरएस द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को संविदा/परामर्श के आधार पर नियोजन से वर्जित करके गलत तरीके से भेद किया गया

हैं|

प्रत्यर्थी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने के समय बीएसएनएल द्वारा कर्मचारियों को दिए गए व्यक्त आश्वासन के विरुद्ध एकांगी रूप से वीआरएस-2019 की शर्तों को बदलने से विबंधित किया जाता हैं|

20. एकमात्र प्रतिबंध वीआरएस योजना के संदर्भ में पुनः रोजगार के उद्देश्य के लिए लगाया गया था और इसमें नीतिगत दिशानिर्देशों के संदर्भ में संविदा/परामर्श के आधार पर नियोजन सम्मिलित नहीं था जिसपर अब प्रत्यर्थी द्वारा विश्वास जताने की मांग की गई है|

बीएसएनएल वीआरएस-2019 के विकल्पों को चुनने वालों को सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों से पृथक वर्गीकृत करने का प्रयास भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। दिनांक 23.11.2019 के स्पष्टीकरण में यह प्रतिबिंबित नहीं होता है कि बीएसएनएल वीआरएस-2019 के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों पर अल्पावधि संविदा के आधार पर कार्य करने के संबंध में कोई प्रतिषेध

या प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया था। पुनर्नियोजन एवं संविदा के आधार पर नियोजन में स्पष्ट अंतर प्रतीत होता हैं तथा बीएसएनएल वीआरएस-2019 के तहत सेवानिवृत्त होने वालों कर्मचारियों पर कोई एकतरफा बदलाव नहीं किया जा सकता है।

यह भी ध्यातव्य है कि संविदात्मक/परामर्श के आधार पर नियोजन नियमित रोजगार नहीं है और इसे आम तौर पर तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जब तक कि नियमित भर्ती नहीं की जाती है और यह संविदा द्वारा ही शासित होती है। इसके अलावा, संविदा के आधार पर याचीगण को सलाहकार के रूप में शामिल करना उपक्रम के भीतर उनके व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए संगठन के लिए समान रूप से फायदेमंद हो सकता था|

21. दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (दु.अ.के.) में परामर्शदाताओं के नियोजन हेतु दिशानिर्देश भारत सरकार के

सूचना मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (दु.अ.के.) के दिनांक 08.11.2021 को जारी अधिसूचना सं.: 1-13/2020-पीईआरएस. आईटीईसी वॉल्यूम II के द्वारा दूरसंचार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-50 (1)/2018-स्था. दिनांकित 10.09.2020 में उल्लिखित शर्तों पर प्रकाश डाला गया हैं, जिसका प्रत्यर्थी द्वारा सन्दर्भ लिया गया हैं|

दिनांक 10.09.2020 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को शुरू में छह महीने की अवधि के लिए अल्पावधि संविदा के आधार पर नियुक्त/नियोजित किया जाएगा, जिसे उनके प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम छह कार्यकाल (प्रत्येक छह महीने) या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अल्पावधि संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों की पूर्व सूचना के साथ समाप्त किया जा

सकता है। वीआरएस कर्मचारियों की नियोजन के संबंध में प्रतिबंधों को पात्रता' के सन्दर्भ में खंड 1.2 और खंड 3.1 में भी दर्शाया गया है। खंड 3.1 में संदर्भित पात्रता बीएसएनएल/एमटीएनएल वीआरएस-2019 के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाती हैं। खंड 13 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी समय दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का अधिकार टीईसी पास सुरक्षित है और इस तरह समीक्षा किए गए दिशानिर्देशों को प्राथमिकता के आधार पर टीईसी की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक पटल पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त टीईसी का अध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त/नामित प्रतिनिधि के पास दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसके निराकरण की शक्ति होगी|

22. हमारा सुविचारित मत है कि वीआरएस योजना-2019 को अंतिम रूप देने और स्वीकार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश/अधिसूचना से वीआरएस योजना के उपनियम 8 (iii) के

अतिरिक्त जिसमें केवल किसी अन्य सीपीएसई में "पुनर्नियोजन" के सम्बन्ध में प्रतिबंध का प्रावधान दिया गया हैं, बीएसएनएल वीआरएस-2019 का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता था|

"पुनर्नियोजित " शब्द का अर्थ सामान्य रूप से सेवा में वापस लेने या सेवा में लिए जाने हेतु नियत किया गया हैं। इसकी तुलना "सेवा की संविदा" के साथ नहीं की जानी चाहिए। चूँकि इस प्रकार "संविदात्मक नियोजन " पद अंततः अपना महत्व खो देगा एवं इसकी परिणति असंगत परिणामों में होगी। यह उस उद्देश्य के भी विपरीत होगा जिसके लिए बीएसएनएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य इस संबंध में किसी विशेष उपनियम के अभाव में संविदा या परामर्श सेवाओं से योजना के विकल्प चुनने वालों को विवर्जित करना नहीं था।

23. बीएसएनएल द्वारा विज्ञापित पद की अधिसूचना के संदर्भ ग्रहण करने मात्र से पता चलता है कि यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से *तदर्थ* आधार पर की गई है और संविदात्मक है जो

समय बीतने के साथ समाप्त हो जाएगी। ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति को समय बीतने के साथ पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उसे विशेष रूप से विस्तारित न किया जाए। नियोजन भी कोई ऐसा लाभ प्रदान नहीं करता है जो कि नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के मामले में प्रदत्त होता हैं और न ही वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के तहत शासित होते हैं और न ही वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत किसी संरक्षण के हकदार हैं।

24. अधिकरण उपर्युक्त पहलुओं पर उचित रूप से विचार करने और कानूनी मुद्दों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा हैं| उपर विस्तार से दिए गए कारणों के आधार पर अधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द किए जाने योग्य है।

25. परिणामी स्थिति जिससे यह पता चलता है कि बीएसएनएल वीआरएस-2019 सेवानिवृत याचीगण का किसी भी सीपीएसई/सरकारी विभाग में संविदा /परामर्श के आधार पर

नियोजन, जिसके लिए यथासमय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी विचारार्थ पात्र हैं, बीएसएनएल वीआरएस-2019 के उपनियम 8 (iii) का उल्लंघन नहीं है।

तदनुसार, यह अभिनिर्धारित है कि नियोजन को संविदा/परामर्श के आधार पर सम्मिलित करने हेतु नियोजन/पुनर्नियोजन की परिभाषा की व्याख्या करने वाले दिनांक 25.06.2021 का स्पष्टीकरण/निर्देश बीएसएनएल वीआरएस-2019 के नियम एवं शर्तों के विपरीत हैं। इस तरह के आवेदक परामर्श/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं। तदनुसार, याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकृत की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं तो उसका भी निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं हैं|

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)
न्यायमूर्ति

(वी. कामेश्वर राव)
न्यायमूर्ति

12 जनवरी, 2023/एसडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*